

दिनांक

आदेश

27⁰¹/₂₀₂₁

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक रमेश कच्छप, पिता/पति- स्व० मंगरा कच्छप, ग्राम-मोचीसाई, थाना-मुफसिल, जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- नरसन्डा, थाना नं0- 649, खाता न0- 170, प्लॉट न0-1976, रकवा- 0.03¹/₂ एकड़ भूमि क्रेता संजय तिग्गा, पिता/पति- ईतवा तिग्गा, ग्राम- नरसन्डा, थाना- मुफसिल, के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)परन्तु (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के स्वयं के नाम पर नामान्तरण मुकदमा सं० 475/R27 2019-20 द्वारा नामान्तरित होकर है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 50, दिनांक 16.01.2021 के द्वारा प्राप्त है। मकान निर्माण हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता संजय तिग्गा, पिता/पति- ईतवा तिग्गा, ग्राम- नरसन्डा, थाना- मुफसिल, के पास 3,00,000.00/- (तीन लाख रुपये) मात्र। में बिक्री करना चाहते हैं। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। आम सूचना का तामिला प्राप्त है। किसी प्रकार का कोई आपति प्राप्त नहीं हुआ है।


उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् भी 07डी० 750वर्गकड़ी एकड़ भूमि बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता रमेश कच्छप, पिता/पति- स्व० मंगरा कच्छप, ग्राम-मोचीसाई, थाना- मुफसिल, जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- नरसन्डा, थाना नं0- 649, खाता न0- 170, प्लॉट न0-1976, रकवा- 0.03¹/₂ एकड़, भूमि को क्रेता संजय तिग्गा, पिता/पति- ईतवा तिग्गा, ग्राम- नरसन्डा, थाना- मुफसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पास छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)परन्तु (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित



भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।



भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।